# कार्यवृत्त

## सोमवार, 24 फाल्गुन, शक संवत्, 1937
## ( दिनांक : 14 मार्च, 2016 )

खण्ड–44
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त 15 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं एवं पढ़ी गईं:–

| | |
|---|---|
| 1 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना (पढ़ी हुई मानी गई) | जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे और मानिला महाविद्यालय को पूर्ण पी0जी0 का दर्जा दिये जाने के उपरान्त भी केवल 2 विषय ही प्रारम्भ करने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में। |
| 2. श्री दान सिंह भण्डारी | उत्तराखण्ड राज्य में सरकार द्वारा विगत वर्ष प्रायः राज्य के राजकीय स्कूलों तथा राजकीय इन्टर कालेजों में नियमित शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश दिवसों में विसंगतियों के कारण अतिथि शिक्षकों में होने वाले आक्रोश के संबंध में। |
| 3. श्रीमती अमृता रावत | विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत पेयजल समस्याओं के निवारण के संबंध में। |
| 4. श्री पुष्कर सिंह धामी | जनपद ऊधमसिंह नगर के सीमान्त क्षेत्र खटीमा के विभिन्न क्षेत्रों में हाथियों द्वारा फसल नष्ट किये जाने के संबंध में। |
| 5. श्री तीरथ सिंह रावत | जनपद पौड़ी के अन्तर्गत सतपुली महाविद्यालय के भवन निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में उत्पन्न असंतोष के संबंध में। |
| 6. श्रीमती विजय बड़थ्वाल (पढ़ी हुई मानी गई) | जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत विमलाणी – निसणी – भृगुखालमोटर मार्ग कई वर्षों से पूर्ण न होने से ग्रामीणों में उपजे रोष के संबंध में। |
| 7. श्री प्रेम सिंह | जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता एवं खटीमा रेल परियोजना के संबंध मे कई वर्षों से क्षेत्र की जनता की मांग के संबंध में। |

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–310 के अन्तर्गत हरिद्वार में स्थित घाटों में पानी न आने के कारण उत्पन्न समस्या के संबंध में श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा की सूचना प्राप्त हुई है। वे इस विषय को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के नगरपालिका क्षेत्र खटीमा में उत्तराखण्ड गोलीकाण्ड में शहीदों का शहीद स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अमित कुमार पाण्डे, जिला महामंत्री भा0ज0यु0मो0, निवासी नगर पालिका क्षेत्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के खटीमा में राजकीय महाविद्यालय में बी0कॉम की कक्षाऐं संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अमित कुमार पाण्डे, जिला महामंत्री भा0ज0यु0मो0, निवासी नगर पालिका क्षेत्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम गौहर, कुटरी क्षेत्र खटीमा में सोबन सिंह के घर से सुनील सिंह के घर तक 01 कि0मी0 मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जीवन सिंह ज्याला, निवासी ग्राम गौहर, कुटरी खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम बूढाबाग प्लान्टेश चकरपुर की ओर 1.5 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री दीपक सिंह, निवासी ग्राम बूढाबाग प्लान्टेश चकरपुर खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम टेड़ाघाट, पो0 चारूबेटा खटीमा में सुखदेव के घर से भजनलाल के घर तक 65 मीटर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री श्रीकान्त सिंह, निवासी ग्राम टेड़ाघाट, पो0 चारूबेटा खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम टेड़ाघाट, पो0 चारूबेटा खटीमा में मेन रोड़ से शिव मन्दिर तक 100 मीटर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री श्रीकान्त सिंह, निवासी ग्राम टेड़ाघाट, पो0 चारूबेटा, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

समाज कल्याण मंत्री ने उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

समाज कल्याण मंत्री ने उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

हरिद्वार में स्थित घाटों में पानी न आने के कारण उत्पन्न समस्या के संबंध में नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत धनोरी के निकट गंगनहर में कार सवार पांच नौजवानों के डूबकर मरने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जिला मुख्यालय रूद्रपुर नगर के चारों ओर उपेक्षा व अभावों का दंश झेल रही कालोनियों एवं ग्राम वासियों के उत्पीड़न विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजकुमार ठुकराल ने अपने विचार व्यक्त किये। नगर विकास मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–58 की सूचना पर श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित थे।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत डीडीहाट में पेयजल समस्या विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री बिशन सिंह चुफाल ने अपने विचार व्यक्त किये। पेयजल मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण काश्तकारों को हुए आर्थिक नुकसान की मुआवजा राशि न मिलने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मालचन्द ने अपने विचार व्यक्त किये। कृषि मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

**श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 04:00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

**सदन की कार्यवाही अपराह्न 04:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही देश में भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न स्थिति विषयक नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर विपक्ष के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात को जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष के बार–बार अनुरोध किए जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तथा अपनी–अपनी बात को लेकर 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारेबाजी करने लगे।

**घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 04:10 पर सदन की कार्यवाही 04:30 तक के लिए स्थगित कर दी।**

**सदन की कार्यवाही अपराह्न 04:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर नियम–310 में दी गई सूचना पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष के बार–बार अनुरोध किये जाने पर भी 'वेल' में खड़े सदस्यों ने स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा श्री मंत्री प्रसाद नैथानी के भाषण से आरम्भ हुई।

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2016 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य, विधान सभा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर **चर्चा जारी रहेगी।**

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक पर **चर्चा जारी रहेगी।**

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से–

''उत्तराखण्ड गन्ना समितियों को राज्य कर्मचारियों में समायोजित करने के संबंध में'' श्री सरवत करीम अंसारी की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है तथा

''विधान सभा क्षेत्र मसूरी के प्रेम नगर के मिठ्ठी बेहड़ी निवासी संदीप कुमार की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात अन्तिम संस्कार के संबंध में'' श्री गणेश जोशी की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

घोर व्यवधान के मध्य

''विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के सितारगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधुनगर में स्थापित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के संबंध में'', डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, स्वास्थ्य मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा,

''जनपद हरिद्वार के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की फीस एवं छात्रवृत्ति न मिलने से व्याप्त असंतोष के संबंध में'', श्री चन्द्रशेखर, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, समाज कल्याण मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया।

''जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सोमेश्वर के काकडीघाट–द्वारसों मोटर मार्ग के शेष भाग ग्राम डूंगा से खरकानी–चौना तक 06 किलोमीटर मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में'', श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा,

''उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में'', श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, समाज कल्याण मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया।

घोर व्यवधान के मध्य

**सदन की कार्यवाही 04 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुईं।**

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।